

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-105/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० परमेश्वर प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंडी, नालंदा द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 11.09.2024 से 23.10.2024 तक कुल-43(तीतालीस) दिन को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-563(25), दिनांक 17.03.2025 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापंक-2/एल-105/2025-

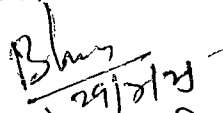
12552(2)

पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चंडी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/डा० परमेश्वर प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंडी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव